न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 119/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

रूखसाना पुत्री वली मोहम्मद, जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– अमीर खॉ वल्द वली मोहम्मद, जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– निजामुद्दीन वल्द वली मोहम्मद, जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– बिस्मल्लाह पुत्री वली मोहम्मद, जोजे नूर खॉ जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– नेनीबाई पुत्री वली मोहम्मद जोजे अय्यूब खॉ, जाति मेवाती, निवासी टापरिया

5– सहजान बाई पुत्री वली मोहम्मद जोजे सद्दाम खॉ, जाति मेवाती, निवासी शोरती

6– शबीना बाई बेवा वली मोहम्मद, जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– अब्दुल रशीद पुत्र सिकन्दर, जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– अनारीबाई बेवा सिकन्दर, जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– सबदर खॉ पुत्र मिट्ठे खॉ, जाति मेवाती, निवासी बांसखेड़ी मेवातियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10– एस. बी. आई. बैंक शाखा सरेड़ी, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ .... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 147/दावा/2011 निर्णय दिनांक 20.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि पत्र संग्रह सार प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का भली भांति अवलोकन व परिशीलन किये बिना आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट वादिनी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी इसलिए आदेश जैर अपील ज्यूडिशियल नहीं है । अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया तथा एक पक्षीय आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.07.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रूखसाना ने दावा पेश किया, जिसे लोक अदालत में रख लिया । हमने लोक अदालत बाबत अपनी सहमति एवं राजीनामा भी पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय में हमने कोई लिख कर नहीं दिया कि हम दावा नहीं चलाना चाहते और न ही हमने कोई हक त्याग किया है । मेरी मॉ सत्तार बाई थी जो नाते चली गई मैं उसकी लड़की हूं

(नरेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

इस कारण से मेरा वादग्रस्त आराजी में हिस्सा निहित है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दावे की कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश है । सत्तार बाई वली मोहम्मद की बेवा नहीं थी । मुसलमानों में नाता नहीं होता है । सत्तार बाई जगमाल खॉ की पत्नी है । अपीलांट वादिनी रूखसाना जगमाल खां की पुत्री है । रेस्पोडेंट नम्बर 8 व 9 की मृत्यु हो गई है इस बाबत इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है इस कारण से अपील अबेट हो गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सही है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2016–17 (Supp.) पेज 714 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.05.2016 के अनुसार पत्रावली लोक अदालत केम्प में पेश हुई एवं पक्षकारान उपस्थित होना अंकित है तथा पक्षकारों के हस्ताक्षर भी आदेशिका पर उपलब्ध है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि हमारा आपसी समझौता हो चुका है इसलिए अब इस वाद में हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अतः वाद की कार्यवाही ड्रोप की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावे की कार्यवाही ड्रोप की, जो विधि सम्मत है इसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा